



2026:AHC:20177

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 3648, वर्ष 2025

हेमन्त कुमार
बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 9 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : संगम सिंह
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : सी.एस.सी., हरि नारायण सिंह, राजीव
कुमार सक्सेना

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संगम सिंह, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजेश कुमार तिवारी, प्रतिवादी संख्या 7 से 10 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार सक्सेना के स्थान पर विद्वान अधिवक्ता श्री बीरेंद्र कुमार यादव, और प्रतिवादी-ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री हरि नारायण सिंह को सुना गया।
2. यह रिट याचिका, परमादेश की प्रकृति की रिट जारी करने की मांग करते हुए दायर की गई है, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे भूखंड संख्या 364—जो राजस्व अभिलेखों में 'चक रोड' के रूप में दर्ज है—और भूखंड संख्या 316—जो नाले के रूप में दर्ज है—से अतिक्रमण हटाएँ।
3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि विचाराधीन भूखंड में हुई घुसपैठ को देखते हुए, उस भूखंड से अतिक्रमण हटाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।
4. इस न्यायालय के पूर्व आदेश के अनुपालन में, उप-जिलाधिकारी, बिधूना, औरैया द्वारा दिनांक 21.1.2026 को भेजा गये निर्देश को अभिलेख पर लिया गया।
5. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्राप्त निर्देशों के आधार पर यह प्रस्तुत किया कि, विचाराधीन भूखंड के संबंध में, निजी प्रतिवादी संख्या 7 से 10 के विरुद्ध यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत एक मामला दर्ज किया गया है; अतः, उपर्युक्त कार्यवाही के निस्तारण के पश्चात् ही उचित कदम उठाए जाएँगे। उन्होंने आगे यह भी प्रस्तुत

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



किया कि भूखंड संख्या 364 को 'चक मार्ग' के रूप में तथा भूखंड संख्या 316 को 'रास्ता' के रूप में दर्ज किया गया है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 4/तहसीलदार, बिधूना, औरैया, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत दर्ज मामला संख्या T202603050201800 का निर्णय, संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, विधि के अनुसार, शीघ्रता से करें।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

29 जनवरी 2026

सी. प्रकाश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"